न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र.– R- 470 -II/13

श्रीमति विमला पत्नि श्यामसुंदर यादव निवासी ग्राम मड़ोरपूर्वी तह. ओरछा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

......**निगरानीकर्ता / आवेदका**

बनाम

1– प्रभु पुत्र मुलआ सौर

निवासी ग्राम देवगढ़ जिला दतिया(म.प्र.)

2– म.प्र. शासन

......**प्रतिनिगराकार / अनावेदकगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत प्रतिकूल निर्णय न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 15 / पुर्नविलोकन / 2012–13 आदेश दिनांक 3–1–2013 से व्यथित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नलिखित आधारों सहित प्रस्तुत है :–

(1) यह कि न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश नियम न्याय विधि सिद्धांतों एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है।

(2) यह कि न्यायालय द्वारा एकांकी दृष्टिकोण अपनाकर आदेश पारित किये हैं जो स्थिर रहने योग्य नहीं है।

(3) यह कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुर्नविलोकन के निर्देशों का पालन नहीं किया है एवं मनमाने ढंग से पुर्नविलोकन के आधारों के विपरीत निष्कर्ष अंकित किये हैं जो स्थिर रहने योग्य नहीं है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–470–दो/2013 जिला–टीकमगढ़

श्रीमती विमला विरूद्ध प्रभु व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के प्र. क्र. 15/पुर्नविलोकन/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03–01–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/03/19	